आज से 30 जुलाई तक चलेगा प्रदेशव्यापी नशा मुक्ति अभियान, अवैध कारोबारियों पर सख्त कार्रवाई के निर्देश

नशे के विरुद्ध जीरो टॉलरेंस नीति पर अडिग: डॉ यादव

राज्य ब्यूरो, नईदुनिया, भोपालः मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि राज्य सरकार नशे के विरुद्ध जीरो टॉलरेंस की नीति पर दृढ़ता से कार्य कर रही है और अवैध कारोबार में लिप्त संगठित गिरोहों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि नक्सलवाद के खात्मे के बाद अब सरकार नशा मुक्त मध्यप्रदेश के निर्माण के लिए संकल्पित है। मुख्यमंत्री रवीन्द्र भवन में 'नशे से दूरी है ज़रूरी 2.0' जागरूकता अभियान के शुभारंभ समारोह को संबोधित कर रहे थे। इस अवसर पर उन्होंने अभियान की प्रचार सामग्री का विमोचन किया तथा प्रतिभागियों को नशा न करने और नशा मुक्त मध्यप्रदेश बनाने की शपथ भी दिलाई।

मुख्यमंत्री ने कहा कि किसी भी प्रकार का नशा व्यक्ति, परिवार और समाज तीनों को बर्बाद करता है। राज्य सरकार ने 19 धार्मिक स्थलों के आसपास नशा और शराबबंदी लागू की है। उन्होंने कहा कि पुलिस विभाग नशे के अवैध कारोबार में शामिल संगठित गिरोहों के विरुद्ध लगातार कार्रवाई कर रहा है तथा पड़ोसी राज्यों के साथ भी समन्वय स्थापित किया जा रहा है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि नशे के अवैध कारोबार के मामलों में किसी प्रकार की नरमी न बरती जाए और ऐसी कार्रवाई की जाए जो उदाहरण बने।

उन्होंने कहा कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने वर्ष 2029 तक भारत को नशा मुक्त बनाने का लक्ष्य रखा है। इसी उद्देश्य से मध्यप्रदेश पुलिस विद्यालयों और महाविद्यालयों में जागरूकता कार्यक्रम, परामर्श सेवाएं तथा सहायता दूरभाष के माध्यम से युवाओं को नशे से दूर रहने के लिए प्रेरित कर रही है। नशे के आदी व्यक्तियों के पुनर्वास की दिशा में भी लगातार कार्य किए जा रहे हैं।

सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण मंत्री नारायण सिंह कुशवाहा ने कहा कि नशा पूरे परिवार को बर्बाद कर देता है और समाज के प्रत्येक वर्ग की सहभागिता से ही नशा मुक्ति अभियान सफल होगा। विशेष पुलिस महानिदेशक पंकज कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि 15 से 30 जुलाई तक चलने वाले इस अभियान में राष्ट्रीय छात्र सेना, राष्ट्रीय सेवा योजना, खेल तथा व्यापारिक समितियों और नागरिक संगठनों के सहयोग से प्रदेशभर में व्यापक जनजागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे।

मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना में जुड़ेंगे प्रमुख पर्यटन स्थल

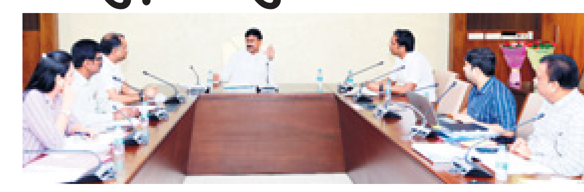

राज्य ब्यूरो, नईदुनिया, भोपालः संस्कृति, पर्यटन, धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व राज्य मंत्री धर्मेन्द्र सिंह लोधी ने निर्देश दिए हैं कि प्रदेश के प्रमुख पर्यटन स्थलों और मां नर्मदा की नर्मदा परिक्रमा को मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना में शामिल करने की कार्ययोजना तैयार की जाए। उन्होंने मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की घोषणा के अनुरूप अंतरराज्यीय तीर्थ दर्शन के लिए बस सेवा शुरू करने की दिशा में भी तेजी से काम करने को कहा। वे मंगलवार को मंत्रालय में धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व विभाग की समीक्षा बैठक को संबोधित कर रहे थे। उन्होने गैर-शासन संधारित मंदिरों के जीर्णोद्धार की योजना बनाने के निर्देश दिए। उन्होंने शासन संधारित मंदिरों से संबंधित भूमि, राज्य के बाहर स्थित विभागीय परिसंपत्तियों तथा मंदिरों के दस्तावेजीकरण की प्रगति की भी समीक्षा की। बैठक में मध्यप्रदेश तीर्थस्थान एवं मेला प्राधिकरण के कार्यों, विभाग में रिक्त पदों की पूर्ति, सीएम मॉनिट, विभागीय घोषणाओं और सीएम हेल्पलाइन की प्रगति पर भी चर्चा हुई। बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि प्रदेश के प्रमुख मंदिरों की जानकारी ऑनलाइन पोर्टल पर उपलब्ध कराई जाएगी, ताकि देश-विदेश से आने वाले श्रद्धालुओं को प्रामाणिक और अद्यतन जानकारी आसानी से मिल सके।

ट्विशा शर्मा प्रकरण में आरोपियों की न्यायिक हिरासत 28 जुलाई तक बढ़ी

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपालः अभिनेत्री एवं मॉडल ट्विशा शर्मा की संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत के मामले में मंगलवार को भोपाल जिला अदालत में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सुनवाई हुई।

केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने अदालत को बताया कि दोनों आरोपी गिरिबाला सिंह और समर्थ सिंह ने आवाज के नमूने उपलब्ध नहीं कराए हैं। साथ ही अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान ने भी अलग से शव परीक्षण प्रतिवेदन उपलब्ध कराने से इनकार किया है।वहीं, गिरिबाला सिंह के अधिवक्ता विनोद जॉर्ज करलो ने अदालत में कहा कि उनके मुवक्किलों ने कभी भी आवाज के नमूने देने से इनकार नहीं किया। उन्होंने बताया कि केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो की टीम जब जेल पहुंची थी, उस समय गिरिबाला सिंह का स्वास्थ्य ठीक नहीं था। इसके बावजूद उन्होंने दो बार नमूना दिया, जबकि तीसरी बार स्वास्थ्य कारणों से अगले दिन नमूना लेने का अनुरोध किया गया था।

अधिवक्ता ने यह भी कहा कि समर्थ सिंह भी जांच में पूरा सहयोग कर रहे हैं और केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो जब चाहे उनका आवाज का नमूना ले सकती है। उनकी आपत्ति केवल प्रक्रिया को लेकर है। उनका कहना है कि नमूने के लिए दी जाने वाली प्रतिलिपि पहले से दर्ज प्रतिलिपि से अलग होनी चाहिए, ताकि नमूना लेने की प्रक्रिया निष्पक्ष और विश्वसनीय बनी रहे।

सुनवाई के दौरान केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने दोनों आरोपियों की न्यायिक हिरासत 28 जुलाई तक बढ़ाने का अनुरोध किया, जिसे अदालत ने स्वीकार कर लिया।

ट्विशा पक्ष के अधिवक्ता शुभांग दीक्षित ने बताया कि छह जुलाई को केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो आरोपियों के आवाज के नमूने लेने पहुंची थी। उनके अनुसार समर्थ सिंह ने नमूना देने से इनकार किया, जबकि गिरिबाला सिंह ने एक बार नमूना दिया, लेकिन दोबारा नमूना नहीं दिया। वहीं, भोपाल अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान ने अदालत को बताया कि शव परीक्षण प्रतिवेदन और उससे संबंधित सभी दस्तावेज पहले ही केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो को सौंपे जा चुके हैं, इसलिए अलग से प्रतिवेदन उपलब्ध नहीं कराया जाएगा। इस दौरान दोनों आरोपियों की पेशी भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कराई गई।

इंदौर से आबू धाबी के लिए पहली अंतरराष्ट्रीय उड़ान आज

राज्य ब्यूरो, नईदुनिया, भोपालः मध्यप्रदेश नागरिक विमानन नीति-2025 के तहत वित्त-पोषित प्रदेश की पहली अंतरराष्ट्रीय हवाई सेवा का शुभारंभ बुधवार को मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव इंदौर से करेंगे। एयर इंडिया एक्सप्रेस द्वारा संचालित यह उड़ान इंदौर को संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) की राजधानी आबू धाबी से सीधे जोड़ेगी। यह सेवा सप्ताह में चार दिन सोमवार, बुधवार, शुक्रवार और रविवार को उपलब्ध रहेगी।

नई हवाई सेवा शुरू होने से मालवा-निमाड़ क्षेत्र के यात्रियों को बड़ा लाभ मिलेगा। अब तक इस मार्ग पर दिल्ली या मुंबई के माध्यम से यात्रा करनी पड़ती थी, जिसमें 7 से 8 घंटे का समय लगता था। सीधी उड़ान शुरू होने के बाद यह दूरी लगभग 3 घंटे 15 मिनट में तय की जा सकेगी। इससे व्यापार, निवेश, पर्यटन और औद्योगिक गतिविधियों को नई गति मिलने की उम्मीद है।

राज्य सरकार की नागरिक विमानन नीति-2025 के तहत प्रदेश में हवाई संपर्क का लगातार विस्तार किया जा रहा है। अब तक 8 नए हवाई मार्गों को स्वीकृति दी जा चुकी है, जिनमें से 4 पर सेवाएं शुरू हो चुकी हैं, जबकि शेष मार्गों पर भी जल्द संचालन शुरू होगा। नीति के अंतर्गत नए घरेलू और अंतरराष्ट्रीय मार्गों के लिए वायबिलिटी गैप फंडिंग, रात्रि पार्किंग करने वाले विमानों पर एटीएफ पर रियायती वैट, एमआरओ और एयर कार्गो परियोजनाओं के लिए पूंजीगत सब्सिडी तथा उड़ान प्रशिक्षण संस्थानों को वित्तीय सहायता जैसी कई सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं।

भारतीय संस्कृति और सेवा भाव से ही बनेगा सशक्त समाजः कुशवाह

राज्य ब्यूरो, नईदुनिया, भोपालः सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण मंत्री नारायण सिंह कुशवाह ने कहा कि भारतीय संस्कृति, सेवा भाव और पारिवारिक मूल्य ही सशक्त समाज की आधारशिला हैं। राज्य सरकार समाज के कमजोर, वंचित, दिव्यांगजन और वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण के लिए निरंतर कार्य कर रही है।

वे मंगलवार को सामाजिक न्याय विभाग के सभागार में आयोजित राज्य स्तरीय कार्यशाला 'क्रिएटिंग अ वेल फंक्शनिंग केयर इकोनॉमी' के उद्घाटन अवसर पर संबोधित कर रहे थे। मंत्री ने कहा कि विभाग सामाजिक सुरक्षा, दिव्यांगजन सशक्तिकरण, वरिष्ठ नागरिक कल्याण और पुनर्वास सेवाओं को अधिक प्रभावी, सुलभ तथा तकनीक आधारित बनाने की दिशा में कार्य कर रहा है। उन्होंने

कहा कि भारतीय संस्कृति में बुजुर्गों का सम्मान, परिवार के प्रति जिम्मेदारी और सामाजिक सहभागिता को हमेशा सर्वोच्च स्थान दिया गया है। बदलती जीवनशैली के बीच इन मूल्यों को और मजबूत बनाने की आवश्यकता है। कार्यक्रम में प्रमुख सचिव सामाजिक न्याय सोनाली पोंक्षे वायंगणकर, आयुक्त अजय खेमरिया, आयुक्त कृष्ण गोपाल तिवारी, परशुराम कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष विष्णु राजोरिया, राज्य नीति आयोग के मुख्य कार्यपालन अधिकारी ऋषि गर्ग और विषय विशेषज्ञ उपस्थित रहे।

भाजपा के प्रदेश प्रभारी डॉ. महेंद्र सिंह एवं क्षेत्रीय संगठन महामंत्री अजय जामवाल ने मंगलवार को दतिया विधानसभा उपचुनाव को लेकर जिलाध्यक्ष, मंडल अध्यक्ष, मंडल प्रभारी एवं मंडल महामंत्रियों की बैठक को संबोधित किया। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा, पार्टी प्रत्याशी आशुतोष तिवारी, पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष शैलेन्द्र बरूआ, प्रदेश महामंत्री राहुल कोठारी, संभाग प्रभारी अभय यादव एवं जिला अध्यक्ष रघुवीर कुशवाहा मंचासीन रहे।

जगदीशपुर में होगी अगली कैबिनेट बैठक, यूसीसी विधेयक पर होगी चर्चा

नप्र, भोपालः मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने घोषणा की है कि मंत्रिपरिषद की अगली बैठक 18 जुलाई को भोपाल जिले के जगदीशपुर (पूर्व नाम इस्लाम नगर) में आयोजित होगी। बैठक में समान नागरिक संहिता (यूसीसी) विधेयक पर विस्तार से चर्चा की जाएगी। उन्होंने इसे 'एक देश-एक विधान-एक प्रधान' की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताते हुए कहा कि 20 से 24 जुलाई तक होने वाले विधानसभा सत्र में 14 विधेयक प्रस्तुत किए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने सभी मंत्रियों को अपने-अपने विभागों से संबंधित विधेयकों की तैयारियां समय पर पूरी करने के निर्देश दिए।

मंत्रिपरिषद की बैठक से पहले मंत्रीगण को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने वर्ष 2027 को 'युवा वर्ष' के रूप में मनाने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि युवा वर्ष के आयोजन और नवाचारों के लिए प्रदेशवासियों से सुझाव आमंत्रित किए जा रहे हैं, जिन्हें कार्ययोजना में शामिल किया जाएगा। साथ ही वर्ष 2026 को किसान कल्याण वर्ष के रूप में प्रभावी बनाने के लिए भी मंत्रियों से नवाचार संबंधी सुझाव मांगे गए।

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना
(खरीफ 2026)
अपनी अधिसूचित फसल का बीमा
31 जुलाई 2026 तक अवश्य कराएं
प्रिय किसान भाइयो एवं बहनो,
वर्ष 2026 में एल-नीनो (El Niño) के संभावित प्रभाव से वर्षा में अनियमितता एवं प्राकृतिक आपदाओं की संभावना को देखते हुए अपनी खरीफ फसल की सुरक्षा सुनिश्चित करें।
फसल बीमा प्राकृतिक आपदा, सूखा, अतिवृष्टि एवं अन्य मौसम जनित जोखिमों से होने वाली आर्थिक हानि से सुरक्षा प्रदान करता है।
अंतिम तिथि का इंतजार न करें
आज ही निकटतम बैंक शाखा, ग्राहक सेवा केन्द्र, फसल बीमा पोर्टल, फसल बीमा ऐप एवं अधिकृत बीमा कंपनी के मध्यस्थ के माध्यम से फसल बीमा कराएं।
किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग
मध्यप्रदेश शासन
D-11060/26
मध्यप्रदेश जनसम्पर्क द्वारा जारी
आकल्पन : म.प्र. माध्यम/2026

मेसर्स दैनिक नईदुनिया के लिए प्रकाशक अपूर्व तिवारी के द्वारा 2, इंदिरा प्रेस काम्पलेक्स, महाराणा प्रताप नगर, ज़ोन-1,भोपाल-462011 से प्रकाशित एवं मुद्रक डॉ. विश्वास तिवारी के द्वारा नईदुनिया प. प्रा.लि., 2, इंदिरा प्रेस काम्पलेक्स, महाराणा प्रताप नगर, ज़ोन-1, भोपाल-462011 से मुद्रित। प्रबंध संपादक: डॉ. सुरेन्द्र तिवारी एवं संपादक: अपूर्व तिवारी। * फोन-0755-2550900-01, e-mail : naidunia@gmail.com (* समाचार पत्र से संबंधित सभी प्रकार के विवादों के लिए न्याय क्षेत्र सिर्फ भोपाल होगा।) आर.एन.आई. रजि. क्र. 47694/88, www.naiduniaonline.com